संख्या-70/2018/948/71-2-18-एस-20/2013

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में प्रस्तावित विद्युत सर्विसेज के कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय के संबंध मे। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-2257/ई/यूपीयूएमएस/2017-18, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा परिसर में 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-113/2016/3333/71-2-16-एस-20/2013 दिनांक 02-9-2016 द्वारा रू0 43628.29 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 370.6262 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14-8-2014	15.0000
6/3521/71-2-14-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 20 नवम्बर, 2014	3.1500
26/2015/926/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 17 मार्च, 2015	9.9351
33/2015/1090/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2015	2.0864
90/2015/3758/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	63.2000
91/2015/3983/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	13.2700
51/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	4.4171
52/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	0.9276
94/2016/2731/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई 2016	124.000
95/2016/2814/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11 जुलाई, 2016	26.000
31/2017/836/71-2-17-एस-20/2013 दिनांक 23 मार्च, 2017	105.1960
32/2017/892/71-2-17-एस-20/2013 दिनांक 23 मार्च, 2017	03.4440
योग-	**370.6262**

3- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा परिसर में 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित रू0 46328.29 लाख की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित करते हुए प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमदों "पी0ए0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम, आई0वी0एम0एस0, डेटा सेन्टर, आडियो वीडियो सिस्टम, ई0पी0ए0बी0एक्स एवं आई0पी0 फोन सिस्टम, किचेन उपकरण, एल0पी0जी0 गैर सिस्टम, लाण्ड्री उपकरण, ब्वायलर सिस्टम, मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम, एडवांस माडुलर ओ0टी0 एवं स्टैण्र्डड माडुलर ओ0टी0, बेड हेड पैनल, कन्ट्रेन ट्रक सिस्टम, सी0एस0एस0डी0, नर्स काल सिस्टम आदि की प्रस्तावित लागत के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्ष विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी तथा समिति द्वारा इन कार्य मदों की आवश्यकता एवं औचित्य तथा लागत का परीक्षण कर, स्वयं संतुष्ट होते हुए, जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। इस पुन: व्यय वित्त समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा परिसर में 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक में विद्युत सर्सिसेज कार्यो हेतु व्यय वित्त् समिति द्वारा निर्देशों के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति की बैठक दिनांक 10-1-2018 (कार्यवृत्त संलग्न) को सम्पन्न हुई। समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित कार्यमदों की कुल लागत रू0 7398.16 लाख मूल्यांकित कतरे हुए अनुमोदित की गयी।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय वित्त समिति द्वारा 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 46328.29 लाख तथा व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विभाग स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 7398.16 लाख को सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की कुल लागत रू0 53726.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कार्यदायी संस्था की होगी।
2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5) संलग्न कार्यवृत्त दिनांक 10-1-2018 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन कुलपति विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-8-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानो को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तदायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति/कार्यदायी संस्था का होगा।
7) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
8) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/634/दस-2017, दिनांक 27 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 70/2018/948(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, इटावा ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उप सचिव।

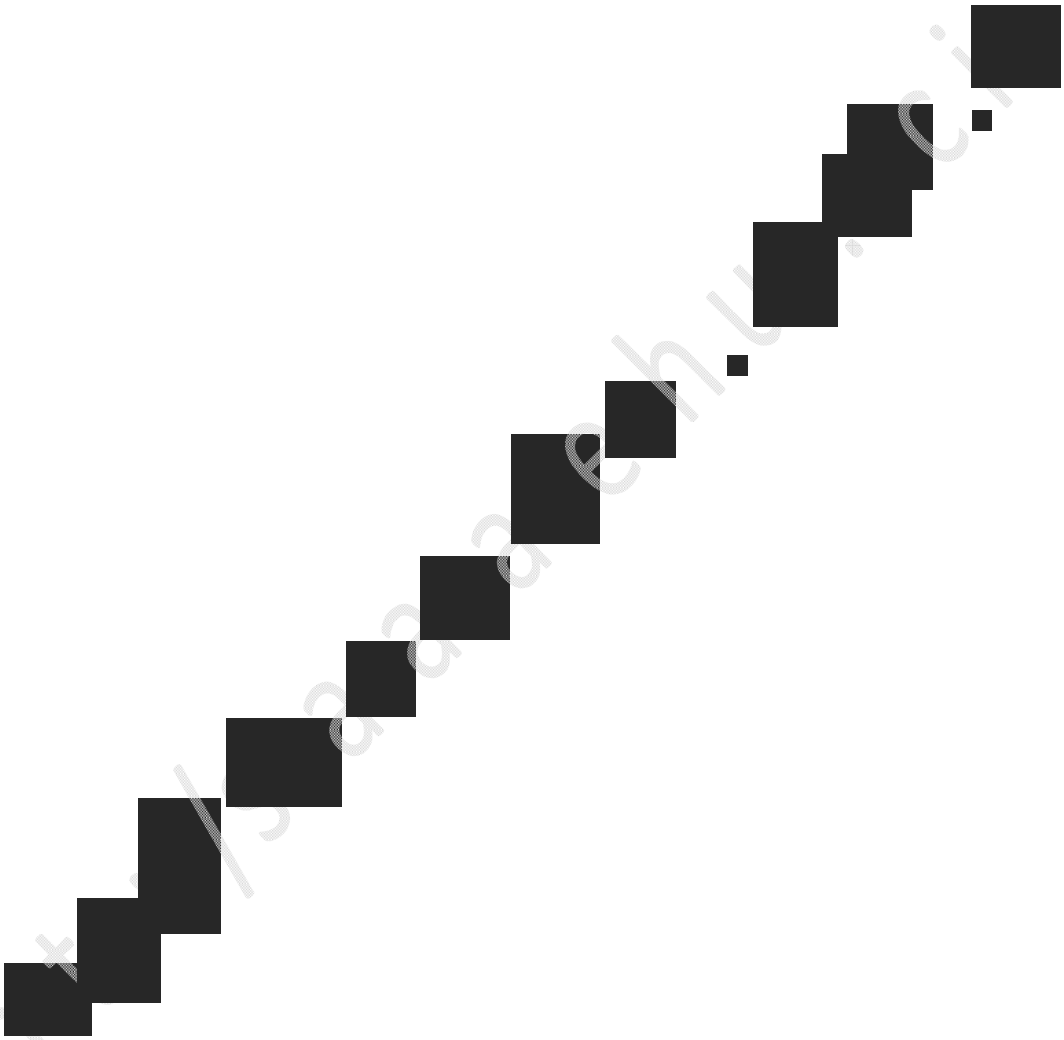

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।